

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 1719/ई0निवि0सहई0नीला0/भूखनि0ई0/2017-18

दिनांक 20 जनवरी, 2018

आदेश

जनपद नैनीताल के छ: उपखनिज लॉटों के आंवटन हेतु ई निविदा दिनांक 06-01-2018 को विज्ञापित की गई, जिनकी ई निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है। विज्ञापित छ: लाटों में से पांच उपखनिज लॉट जो पांच हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के हैं, में पात्रता के बिन्दु संख्या-1 में त्रुटिवश “स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाईटी एकट में पंजीकृत हो अथवा फर्म अथवा कम्पनी को आवंटित किया जायेगा” प्रकाशित हो गया है।

जबकि उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में संशोधन अधिसूचना सं0 1582/VII-1/2017/31 ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 नियम 29 क उपनियम 8 में प्राविधानित है कि “राज्य के नदी तल में साधारण बालू बजरी, बोल्डर्स क्षेत्र तथा स्वरथानें चट्टान युक्त रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों की ई-निविदा सह ई नीलामी की प्रक्रिया में 5.00 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के खनन लॉट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाईटी एकट में पंजीकृत हो, को आवंटित किये जा सकते हैं।”

अतः जनपद नैनीताल के तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 1.60 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 1.30 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम सेथी दारकोट क्षेत्रफल 1.540 है0, तहसील कोश्याकुटौली के ग्राम तत्लाकोट धनियाकोट क्षेत्रफल 1.720 है0 के निविदा प्रपत्र में पात्रता के बिन्दु संख्या 1 में टंकित “स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाईटी एकट में पंजीकृत हो अथवा फर्म अथवा कम्पनी” के स्थान पर

“स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाईटी एकट में पंजीकृत हो” पढ़ा जाय।

निविदा प्रपत्र उक्त वर्णित सीमा तक संशोधित कर पढ़ा जाय।

निदेशक

संख्या: /ई0निवि0सहई0नीला0/भूखनि0ई0/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक